प्रश्न : भारत के सर्वोच्च न्यायालय क संगठन एवं क्षेत्राधिकार की विवेचना करें।

(Discuss the composition and jurisdiction of the Supreme Court of India.)

अथवा

सर्वोच्च न्यायालय के संगठन का वर्णन कीजिये एवं उसकी स्वतंत्रता के आवश्यक शर्त्तों का परीक्षण कीजिये।

(Describe its composition of the Supreme Court and discuss how the independence of Supreme Court is granted in the Constitution.)

अथवा

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का उल्लेख करें। इसकी स्वतंत्रता की रक्षा किस प्रकार की गयी है?

(Discuss the jurisdiction of the Supreme Court of India. How has the independence of this Court been guaranteed?)

उत्तर : अन्य संघीय राज्यों की तरह भारतीय संघ में भी संविधान एवं राज्य की संघात्मकता की रक्षा करने तथा संघ एवं राज्यों के बीच उत्पन्न विवादों को दूर करने के लिए एक स्वतंत्र एवं सर्वोच्च उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गयी है। गणतंत्र भारत के संविधान की व्यवस्थाओं के आधार पर उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन 26 जनवरी 1950 ई. को हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले इस स्तर के न्यायालय को फेडरल कोर्ट कहा जाता था, परन्तु वह सर्वोच्च नहीं था क्योंकि उसके निर्णयों के खिलाफ प्रीवी कौंसिल में अपीलें की जा सकती थीं।

सर्वोच्च न्यायालय का संगठन : भारतीय संविधान की धारा 124 (1) की मूल व्यवस्था में कहा गया था कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय एक मुख्य न्यायाधिपति तथा जब तक संसद विधि द्वारा इस संख्या को नहीं बढ़ाती, अधिक-से-अधिक 7 अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। जिस दिन सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन हुआ, उस दिन इसमें एक मुख्य न्यायाधिपति तथा 7 अन्य न्यायाधीश थे। बाद में संसद ने कई बार इस संख्या में वृद्धि की है। वर्त्तमान समय सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधिपति तथा 26 अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति के समय वह सर्वोच्च न्यायालय या राज्यों के उच्च न्यायालयों के उन न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है, जिन्हें वह, इस प्रयोजनार्थ उचित समझे। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति से परामर्श करना आवश्यक है। परन्तु राष्ट्रपति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह उनके परामर्शों को स्वीकार करे ही। वस्तुतः इन नियुक्तियों में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद् का परामर्श अंतिम होता है तथा राष्ट्रपति उनके परामर्श को मानने के लिए बाध्य है।

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधिपति उस न्यायालय का प्रधान होता है। यदि किसी कारण मुख्य न्यायाधीश का स्थान रिक्त हो जाय तो उसके कार्य उस न्यायालय के उस न्यायाधीश द्वारा संपादित होंगे, जिसे राष्ट्रपति इस प्रयोजनार्थ नियुक्त करे।

न्यायाधीशों की अपेक्षित योग्यताएँ : (i) वह भारत का नागरिक हो, (ii) (a) कम-से-कम 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय या लगातार दो या दो से अधिक न्यायालयों में न्यायाधीश रह चुका हो, या (b) कम-से-कम 10 वर्षों तक लगातार एक या एक से अधिक उच्च न्यायालयों में अधिवक्ता रह चुका हो या (c) राष्ट्रपति की नजर में सुप्रसिद्ध विधि-वेत्ता हो।

न्यायाधीशों का कार्यकाल : सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रह सकते हैं। लेकिन, इसके पूर्व भी वे लिखित त्यागपत्र देकर अपने पद से हट सकते हैं। 65 वर्ष की आयु के पूर्व बिना राष्ट्रपति के आदेश के उन्हें नहीं हटाया जा सकता। राष्ट्रपति ऐसा आदेश तभी देगा जबकि उनके पास एक ही सत्र में संसद का प्रत्येक सदन अपने कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित सदस्यों के कम-से-कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा समर्थित निवेदन पत्र प्रेषित करे कि अमुक न्यायाधीश को सिद्ध दुराचार तथा अक्षमता के आधार पर पदच्युत कर दिया जाय। मूल व्यवस्था में आयु-सीमा 62 वर्ष थी।

सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने के बाद किसी भी अन्य न्यायालय में न तो वकालत कर सकता है न ही किसी अधिकारी के अधीन कोई कार्य कर सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार : सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम एवं अंतिम न्यायालय है। उसके निर्णय अंतिम होते हैं तथा इसके निर्णयों के खिलाफ किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती है। संविधान की धारा 129 के अनुसार यह एक अभिलेख न्यायालय भी है, अर्थात्, इसके निर्णय एवं कार्यवाहियाँ हमेशा ही याद और प्रमाण के रूप में रेकार्डस्वरूप रखी जाती है तथा कोई भी न्यायालय उनकी प्रामाणिकता को चुनौती नहीं दे सकता। सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का अध्ययन हम निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत करेंगे।

1. प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार (Original Jurisdiction) : वैसे मुकदमे, जिन्हें सीधे सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया जा सकता है, इसके प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मुकदमे हैं। इस क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मुकदमे दो तरह के होते हैं–

(क) ऐसे मुकदमे जिन्हें केवल सर्वोच्च न्यायालय में ही लाया जा सकता है अन्य न्यायालयों में नहीं; यह उसका अनन्य क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) है। इसके अंतर्गत पड़ने वाले मुकदमे तीन तरह के होते हैं (1) एक पक्ष भारत की संघ सरकार तथा दूसरा पक्ष भारतीय संघ का एक या अधिक राज्य हो, (2) एक पक्ष भारतीय संघ तथा एक या एक से अधिक राज्य हो तथा दूसरा पक्ष अन्य कोई एक या अधिक राज्य हो, तथा (3) जो विवाद भारत संघ के अंतर्गत दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हो।

(ख) ऐसे मुकदमे जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय के साथ-साथ उच्च न्यायालयों में भी लाया जा सकता हो; यह सर्वोच्च न्यायालय का समवर्ती क्षेत्राधिकार है। इस अधिकार-क्षेत्र में मूल अधिकार सम्बन्धी मामले, संविधान की व्याख्या करने का प्रश्न, भारत-स्वतंत्रता अधिनियम (1947) से संबंधित कोई प्रश्न, संसद या राज्य-विधान मंडलों द्वारा निर्मित कानूनों से संबंधित प्रश्न आते हैं। संविधान की धारा 32 के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय को मूल अधिकारों की रक्षा हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार-पृच्छा आदि लेखों को जारी करने का अधिकार है।

2. अपीलीय क्षेत्राधिकार : सैनिक न्यायालयों द्वारा दिये गये निर्णयों को छोड़कर भारत के अन्य किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश के किसी भी निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। व्यवहार में उच्च न्यायालयों या उसकी स्थिति के अन्य न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जाती है। इसके अपीलीय क्षेत्राधिकार को मुख्यत: तीन भागों में बाँटा जा सकता है–

(a) संवैधानिक **प्रश्न सम्बन्धी** : धारा 132 के मुताबिक भारत के राज्य-क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी उच्च न्यायालय के दीवानी या फौजदारी या अन्य कार्यवाही सम्बन्धी किसी फैसले, निर्णय या आदेश के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकेगी यदि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि उसमें संविधान की व्याख्या से सम्बन्धित कोई सारमय प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है। यदि उच्च न्यायालय प्रमाण-पत्र नहीं भी दे तथा सर्वोच्च न्यायालय को यह समाधान हो जाय कि अमुक मामले में संविधान की व्याख्या सम्बन्धी कानूनों का कोई सारमय प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है, तो वह अपील करने की विशेष अनुमति दे सकता है।

(b) **फौजदारी मामलों से** सम्बन्धित **प्रश्न** : फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के फैसलों के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है, जबकि –(i) उच्च न्यायालय ने अपील में निचले न्यायालय द्वारा रिहा किये गये किसी अभियुक्त को मृत्युदंड दे दिया हो, (ii) उच्च न्यायालय ने अपने अधीनस्थ न्यायालय से किसी मामले को परीक्षण के लिये माँग कर मृत्युदंड दे दिया हो, और (iii) उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि अमुक मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के लायक है।

(c) **दीवानी मामलों की अपील** : दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील तभी की जा सकती है जबकि उच्च न्यायालय यह प्रमाण-पत्र दे कि उसमें सामान्य हित सम्बन्धी कानून का प्रश्न अन्तर्ग्रस्त है तथा उच्च न्यायालय की राय में मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में अपील के योग्य है (संविधान का 30वाँ संशोधन)।

3. परामर्शदात्री **अधिकार** : सर्वोच्च न्यायालय को कुछ परामर्शदात्री अधिकार भी प्राप्त है। संविधान की धारा 143 के मुताबिक, राष्ट्रपति जब चाहे, किसी भी महत्त्वपूर्ण समझौतों, सन्धियों या सार्वजनिक महत्त्व के प्रश्नों से संबंधित किसी विषय को, सर्वोच्च न्यायालय में परामर्श के लिए भेज सकता है। परन्तु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये परामर्श को मानना या न मानना राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है। सन् 1977 ई. में राष्ट्रपति ने आठ राज्यों की विधान सभाओं को भंग कर सकने के अपने अधिकार के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लिया था।

4. आवृति सम्बन्धी क्षेत्राधिकार : सर्वोच्च न्यायालय को यह भी अधिकार प्राप्त है कि अपने द्वारा दिये गये किसी निर्णय या आदेश पर पुन: विचार करे। उदाहरणस्वरूप, सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार बनाम केशवानन्द भारती मुकदमा से अपने उस निर्णय को बदल दिया, जिसे उसने गोलकनाथ केस में दिया था। गोलकनाथ केस में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि भारतीय संसद मौलिक अधिकारों से संबंधित धाराओं में संशोधन नहीं कर सकती। परंतु संविधान के 24वें संशोधन से उत्पन्न केशवानन्द भारती मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि भारतीय संसद संविधान के मूल ढाँचे को बदले बिना उसकी किसी भी धारा में संशोधन कर सकती है।

5. मौलिक अधिकारों **का संरक्षण** : सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। यदि किसी व्यक्ति या राज्य की कार्यपालिका द्वारा नागरिकों के

मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो कोई भी नागरिक न्यायालय की शरण ले सकता है। यह राज्य या केन्द्रीय सरकार के वैसे कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है जो कि मूल अधिकारों की व्यवस्थाओं के विपरीत हो। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य या केन्द्रीय सरकार के अनेकानेक कानूनों को इसी आधार पर अवैध घोषित कर दिया है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सर्वोच्च न्यायालय बन्दी-प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार-पृच्छा आदि लेख जारी कर सकता है।

6. न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार : व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों पर विचार करने एवं संवैधानिकता की जाँच करने के अधिकार को न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) का अधिकार कहते हैं। सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संसद एवं राज्य-विधानमण्डलों द्वारा निर्मित किसी भी कानून पर विचार करने एवं उसकी संवैधानिकता की जाँच करने का अधिकार प्राप्त है। यदि संसद या राज्य विधान-मण्डल संविधान की धाराओं के खिलाफ कानून निर्माण करते हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय उन्हें अवैध घोषित कर देगा। अब तक सर्वोच्च न्यायालय ने संसद एवं राज्य-विधानमण्डलों द्वारा निर्मित अनेकों कानूनों को अवैध घोषित कर दिया है। जमीन्दारी उन्मूलन कानून, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कानून आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं।

7. अन्य अधिकार : सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति के अनुमोदन से अपनी कार्रवाई के सम्बन्ध में नियम बनाने का अधिकार है। वह अपनी कार्रवाई सम्पादित करने के लिए किसी भी व्यक्ति को न्यायालय में उपस्थित होने या कोई कागजात पेश करने का आदेश दे सकता है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति को अपने न्यायालय के पदाधिकारियों और सेवकों को नियुक्त करने तथा राष्ट्रपति की पूर्व-सम्मति से उनके वेतन और सेवा की शर्तों से सम्बन्धित नियम बनाने का अधिकार है।

सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त क्षेत्राधिकार के विवेचन से यह स्पष्ट है कि उसे विशाल शक्तियाँ प्राप्त हैं। इसी कारण कहा गया है कि यह संसार के सभी उच्चतम न्यायालयों से अधिक शक्तिशाली है। महान्यायवादी शीतलवाद ने सर्वोच्च न्यायालय के उद्घाटन के दिन कहा था कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार अपने चरित्र और विस्तार में, राष्ट्रमण्डल के किसी भी देश के उच्चतम न्यायालय और अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार से अधिक है। इतना ही नहीं, संसद को यह भी अधिकार है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार को और भी बढ़ा दे।

परन्तु, सर्वोच्च न्यायालय पर एक बड़ी सीमा यह है कि भारतीय संसद सांविधानिक संशोधनों द्वारा इसके अधिकार-क्षेत्र को सीमित कर सकती है। अब तक संसद ने विभिन्न संशोधनों द्वारा कई बार सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार-क्षेत्र को सीमित कर दिया है। संविधान के 1ले, 4थे, 17वें, 25वें 39वें, 40वें, 42वें आदि संशोधन इसके उदाहरण हैं।